

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान इमीचन्द बनाम परशराम जादि
 करण संख्या 10 / 2008 अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
02 01/23	<p>वादीगण / प्राचीगण अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्राचीगण व प्राची अधिवक्ता को सूक-2 कूर उ बार आवाज लगावाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। प्राचीगण का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA इसी स्तर पर अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निगति होकर नम्बर से कम होकर दायित्व दफुतर ही।</p>	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर

